

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./1990-11/अलेसे-11/3559-74

दिनांक- 07.12.2011

कार्यालय आदेश संख्या 199/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रुस्त/2008/दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरस्त एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पीबी-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं पेड-पे 4200 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी स्वीकृति दि०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जगदीश प्रसाद कडायला	15-10-1966	30-07-1993	30-07-2011	
2.	नेतराम सिंगारिया	12-05-1963	26-07-1993	26-07-2011	
3.	जगदीश प्रसाद बैरवा	11-07-1965	26-07-1993	26-07-2011	
4.	खेमचन्द	02-01-1966	21-06-1993	21-06-2011	
5.	मोहन सिंह मीणा	01-09-1968	27-09-1993	27-09-2011	
6.	मूलाराम मेघवाल	12-03-1968	30-07-1993	30-07-2011	
7.	नाथूलाल मीणा	01-11-1965	26-07-1993	26-07-2011	
8.	नरसिंह राम मेघवाल	14-07-1961	21-06-1993	21-06-2011	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त उल्लेखित लेखाकारों के क्रम संख्या 3 से 8 पर बांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश ए.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकारों ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्शिक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./1990-11/अलेसे-11/3559-74
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक- 07.12.2011

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (विद्यमान है).....

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)